



प्रेस विज्ञप्ति



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक जून 04, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 157 वाहनों का चालान किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-33 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त बिकाऊ साहनी पुत्र अम्बिका नि0 शेषपुर थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 पाउच बंटी बबली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 112/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राजकुमार पुत्र बुद्धिराम नि0 दुबौली राजी टोला थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 पाउच बंटी बबली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 219/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना बरगदवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त लालचन्द यादव पुत्र सहदेव नि0 नरायनपुर थाना बरगदवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 53/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता सुनरी पत्नी रामानन्द 2. रामानन्द पुत्र राजमन नि0 बगहा उर्फ अहिरौली थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 222/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में की गयी कार्यवाही-

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. राजू प्रसाद यादव पुत्र सुरेश 2. मुलायम यादव पुत्र सुरेश नि0गण बेलभार टोला मनिकौरा थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 61/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सौनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. सीताराम पुत्र लाटू 2. भोलाराम पुत्र सीताराम 3. संत प्रसाद पुत्र सीताराम नि0 जुगौली थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 67/22 धारा 3/5 लो0स0क्ष0नि0 अधि0 में पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. नासिर पुत्र जमालुद्दीन नि0 करमहिया थाना निचलौल जनपद महाराजगंज 2. विशाल पुत्र सुरेश नि0 कटरा धमउर थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 45 बोरी यूरिया खाद बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 11 कस्टम एक्ट में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-05 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 03/04.06..2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 37 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।